

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 453 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 04 / 06 / 2014)

म.प्र. राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।
जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. मंशाराम जाटव पुत्र सरमन जाटव, उम्र 63 वर्ष।
 02. हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र पुत्र मंशाराम जाटव, उम्र 31 वर्ष।
 03. ध्यानेन्द्र जाटव पुत्र मंशाराम जाटव, उम्र 25 वर्ष।
- निवासीगण :- ग्राम नैनौली कॉलौनी, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 07 / 12 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र एवं ध्यानेन्द्र पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक : 24/04/2014 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी रामदुलारे का दरवाजा स्थित नैनौली कॉलौनी, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी रामदुलारे को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामदुलारे एवं महेन्द्र सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मंशाराम ने महेन्द्र को लाठी से, अभियुक्त होलेन्द्र ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं अभियुक्त ध्यानेन्द्र ने लाठी से फरियादी रामदुलारे की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी रामदुलारे को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 24/04/2014 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी रामदुलारे का दरवाजा स्थित नैनौली कॉलौनी में, आरोपीगण द्वारा फरियादी रामदुलारे से गाली-गलौच करने, उसकी एवं महेन्द्र की लाठी-डण्डों एवं कुल्हाड़ी से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामदुलारे द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र, ध्यानेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक

163/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी रामदुलारे, आहत महेन्द्र, साक्षीगण ममता देवी, रवि एवं रामरती के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र एवं ध्यानेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी होलेन्द्र ने दिनांक :- 24/04/2014 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी रामदुलारे का दरवाजा स्थित नैनोली कॉलोनी में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामदुलारे की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त होलेन्द्र ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी रामदुलारे की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी रामदुलारे सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 20/08/2015 से लगभग डेढ़ साल पहले की सुबह 09:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी ममता देवी आंगनबाड़ी जा रही थी, तो आरोपीगण मंशाराम की गाय उसकी जगह में बंधती है, तो उसकी जगह में लगे बबूल से बंधती है, जिससे कूड़ा-करकट होता है। उसकी पत्नी ममता देवी ने मंशाराम से कहा कि कूड़ा-करकट बाहर फेंक दो, तो मंशाराम कहने लगा, यह तो जगह हमारी है और उसकी पत्नी को गाली-गलौच करने लगा। साक्षी आगे कहता है कि घटना के समय वह वहीं पर मौजूद था, तो उसने मंशाराम से कहा कि यह जगह तुम्हारी नहीं है और गाली-गलौच क्यों दे रहे हो, तभी आरोपी मंशाराम के लड़के होलेन्द्र ने उसके बाईं कनपटी में एक कुल्हाड़ी का मूठ मार दिया, जिससे उसका दाँत

टूट गया था, इसकी रिपोर्ट उसने थाना मौ में की थी एवं उसके भाई महेन्द्र सिंह के मंशाराम ने एक डण्डा मारा था, जो उसके बाई हाथ में लगा, जिससे उसे चोट होकर खून निकल आया था। साक्षी आगे कहता है कि उसकी चाची रामरती आ गई थी, जिन्होंने बीच-बचाव कराया था। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने थाना मौ में की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

08. साक्षी ममता अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानती है, वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 20/08/2015 से लगभग डेढ़ साल पहले की सुबह 09:00 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि आरोपीगण की गाय उसकी जगह में बबूल से बंधी हुई थी, उक्त समय वह आंगनबाड़ी जा रही थी। साक्षी आगे कहती है कि उसने आरोपी मंशाराम से बोला कि कचरा उसकी जगह में मत डाला करो, तब आरोपी मंशाराम ने कहा कि मादरचोद की, हम कचरा यहीं डालेंगे, तभी उसके पति रामदुलारे आ गये। साक्षी आगे कहती है कि तभी आरोपी मंशाराम का लड़का होलेन्द्र वहीं कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था, उसने उसके पति रामदुलारे के कुल्हाड़ी की मूढ़ मार दी, जिससे उसके पति का दाहिने तरफ का दांत टूट गया, वहाँ पर होलेन्द्र का भाई आरोपी ध्यानेन्द्र भी खड़ा था, उसने एक लड़का उसके जेठ महेन्द्र सिंह के डण्डा मारा, जो उल्टे हाथ की हथेली में लगा। उसका भाई रवि एवं उसकी चाची रामरती बीच-बचाव करने आ गये थे, तभी आरोपीगण वहाँ से भाग गये थे।

09. साक्षी महेन्द्र अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 20/08/2015 से लगभग डेढ़ साल पहले की सुबह 09:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी मंशाराम से उसकी बहू ममता का गाय बांधने के उपर विवाद हो गया था। आरोपी मंशाराम कह रहा था कि मादरचोद की तू यहाँ गाय नहीं बांधेगी, की गाली दे रहा था। उसका भाई घर से बाहर निकला तो उसके भाई रामदुलारे को होलेन्द्र ने कुल्हाड़ी मूठ की तरफ से मार दी, जिससे उसका उल्टे तरफ का दांत टूट गया था। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने बीच-बचाव किया तो ध्यानेन्द्र ने एक डण्डा मारा, जो उल्टे हाथ की हथेली में लगा था। बीच-बचाव उसके भाई रवि ने कराया था।

10. साक्षी रविकान्त अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, वह उसके पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 20/08/2015 से लगभग डेढ़ साल पहले की सुबह 08-09 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी जगह में आरोपी मंशाराम की गाय उसके बबूल के पेड़ से बंधती थी, इस बात को लेकर मंशाराम और रामदुलारे में झगड़ा हो गया था।

झगड़े में गाली-गलौच हुआ, होलेन्द्र ने कुल्हाड़ी मूठ की तरफ से रामदुलारे में मार दी थी। पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी रविकान्त ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि होलेन्द्र ने उसके बड़े भाई रामदुलारे में कुल्हाड़ी मारी थी, जो उनके बाये गाल पर लगी और दाँत निकल आया एवं ध्यानेन्द्र ने डण्डा मारा जो उसके भाई रामदुलारे को दाहिने हाथ के कौचे में लगा, मूदी चोटें आईं। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि मंशाराम ने उसके बड़े भाई महेन्द्र के एक लाठी मारी, जो बाये हाथ में लगी एवं मंशाराम कह रहा था कि मादरचोद रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे।

11. आहत रामदुलारे अ.सा.01, उसकी पत्नी ममता अ.सा.02, साक्षी/आहत महेन्द्र अ.सा.03 एवं साक्षी रविकान्त अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आरोपी होलेन्द्र द्वारा उस पर जो कुल्हाड़ी का प्रहार किया गया था, वह धारदार तरफ से ना किया जाकर, बिना धार वाली तरफ से अर्थात् मूठ की तरफ से किया गया था।

12. अभियोजन साक्षी डॉ.आर.विमलेश अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 24/04/2014 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के नगर रक्षा समिति के कैप्टन अकबर द्वारा लाये जाने पर आहत रामदुलारे पुत्र रामहंस, निवासी :- नैनोली कॉलोनी का परीक्षण करने पर आहत के दुबारा बोलट कुट ढाड टूटी हुई बता रहा था, जिसको दंत चिकित्सक भिण्ड के परामर्श की सलाह देकर भिण्ड भेजा था। साक्षी आगे कहता है कि आहत के दाहिने हाथ पर खरोंच थी, जिसका आकार 1/2 से.मी. गुणा 1/4 से.मी. थी एवं आहत के बाईं कनपटी के उपरी हिस्से में खरोंच थी, जिसका आकार 02 से.मी. गुणा 1/4 से.मी. था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई चोट क्रमांक 01 एवं 02 सख्त एवं भौथुरी वस्तु से आना प्रतीत होती है, उक्त चोटें उसके परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी एवं चोट क्रमांक 03 की प्रकृति जानने के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई। इस वावत् उसके द्वारा दी गई तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत का एक्स-रे परीक्षण किया गया, जिसमें कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया था। इस वावत् उसके द्वारा दी गई एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत रामदुलारे का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ.आर.विमलेश अ.सा.05 ने भी उनके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहतगण को आई कोई भी चोट किसी धारदार आयुध से आना संभव नहीं है। डॉ.आर.विमलेश द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 में भी धारदार आयुध से आई हुई किसी चोट का कोई उल्लेख नहीं है। जिससे यह प्रकट होता है कि आहत रामदुलारे को आरोपित घाटना में धारदार आयुध से कोई चोट कारित नहीं हुई थी।

13. साक्षी रामरती अ.सा.06 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी होलेन्द्र द्वारा दिनांक : 24/04/2014 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी रामदुलारे का दरवाजा स्थित नैनोली कॉलोनी में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामदुलारे की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। विवेचना के दौरान आरोपित घटना में कथित रूप से प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी जब्त नहीं की गई।

14. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत रामदुलारे अ.सा.01 एवं आहत महेन्द्र अ.सा.03 के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है। उक्त राजीनामे के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक विनोद भार्गव अ.सा.08 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक निहाल सिंह अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की विवेचना नहीं की जा रही है।

15. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी होलेन्द्र ने दिनांक :- 24/04/2014 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी रामदुलारे का दरवाजा स्थित नैनोली कॉलोनी में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामदुलारे की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त होलेन्द्र ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी रामदुलारे की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

16. अभियोजन आरोपीगण मंशाराम, हुनेन्द्र उर्फ होलेन्द्र एवं ध्यानेन्द्र के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

17. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद